अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

संदेश

भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक होने के साथ ही साथ संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हिंदी भारतवर्ष के सभी भाषा–भाषियों के मध्य भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषा में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं तथा बोलियों के भाव जीवंत हैं। हिंदी को भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा का श्रेय उपलब्ध है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। हिंदी एक उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। राजभाषा हिंदी राष्ट्रीयता, भारतीयता और एकता का मूल स्वर है और प्रशासन एवं आम जनता के बीच संवाद की भाषा होकर अपनी सार्थक भूमिका निभा रही है। इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। इसी अनुक्रम में 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि नई संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी।

विश्व पटल पर भारत भूमि में ही सर्वप्रथम सभ्यता एवं संस्कृति का उद्‌गम हुआ। साथ ही जिस भारत भूमि में सांख्य–दर्शन, योग, दशमलव प्रणाली, ज्योतिष ज्ञान, ग्रह–नक्षत्रों की दूरी एवं काल की गणना जैसे परिपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ हो, उस देश की भाषाओं का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी, समुन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण हो सकती हैं। भारतीय भाषाओं की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्‌भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा से संबंधित नीतियों तथा अनुदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता के साथ करें, जिस प्रकार से अन्य सरकारी नीतियों एवं अनुदेशों का अनुपालन करते हैं। हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा नियमों/अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि जन–साधारण सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।

हिंदी दिवस, 2022 के इस शुभ अवसर पर हमारा यह संकल्प हो कि हम सब मिलकर राजभाषा के माध्यम से स्वदेशी विज्ञान की समृद्ध परंपरा को जन–जन तक पहुंचाकर शिक्षित, शक्तिशाली एवं नए भारत का निर्माण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं अथक प्रयासों से "हिंदी" राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान–विज्ञान से परिपूर्ण एवं समृद्ध भाषा के रूप में विश्व भाषा बनेगी।

इसी आशा और विश्वास के साथ हिंदी दिवस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में कार्यरत सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2022

(अर्जुन मुंडा)

751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

Scanned with CamScanner